


क्रमांक प. 13(51)का./क-1/गो.प्र./2008 . जयपुर, दिनांक 30 NOV 2012

अनुदेश संशोधन

राजस्थान सिविल सेवायें ( कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ) अनुदेश-2008 के कम संख्या 20(1)(ई) में अंकित शब्द "दस" वर्ष के स्थान पर "पांच" वर्ष प्रतिस्थापित (Substitute) किया जाता है । यह तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(सुदर्शन सेठी) 30.11.2012  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव ।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित )
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित ।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।

  
विशेषाधिकारी